रेफरेंस / एलआर / 11978 / 2003 / टौंक
सरकार बनाम शान्तीलाल

		तारीख हुक्म	

22/11/19

एकल पीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थितः—
(1)श्री आर0पी0 मीणा,उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(2) श्री अभिभाषक श्री वकुल कुमार अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित

निर्णय **दिनांक : 22.11.2019**

यह रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, टौंक द्वारा प्रकरण संख्या 34 / 98 में पारित निर्णय दिनांक 29—9—2003 द्वारा अभिशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

2— संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, उनियारा ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा उनियारा के खसरा नम्बर 947 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 948 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 949 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 950 रकबा 2 बीघा 2 बीघा 5 बिस्वा , 951 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा,952 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 956 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा , 957 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि उपखण्ड अधिकारी टोंक के आदेश दिनांक 28—8—75 द्वारा श्री रावराजा सरदारसिंह पुत्र श्री रावराजा गुमानसिंह राजपूत निवासी उनियारा की खातेदारी की भूमि में से सीलिंग में अवाप्त की गयी थी जिसकी पालना में नामा0 संख्या 652 दिनांक 11—6—76 से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करदी गयी। अप्रार्थी शान्तिलाल ने सहायक कलक्टर उनियारा के समक्ष दावा इश्तकरारहक व इन्द्राज दुरस्ती का पेश किया जिस पर सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7—1—88 द्वारा विवादित भूमि पर अप्रार्थी शान्तिलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जो नियमों के प्रतिकूल होने एवं अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में सहायक कलक्टर उनियारा के निर्णय व डिक्री दिनांक 7—1—88 को निरस्त करने व प्रकरण को राजस्व मण्डल में प्रेषित करने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए । इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुन कर अपने निर्णय दिनांक 29.9.2003 द्वारा यह रेफरेंस राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

4. इस न्यायालय में रेफरेंस प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण पक्ष को नोटिस दिये गये, जो जरिये अभिभाषक उपस्थित है।

5. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताग की बहस सुनी।

6. योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कस्बा उनियारा के खसरा नम्बर 947 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 948 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 949 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 950 रकबा 2 बीघा 2 बीघा 5 बिस्वा , 951 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा,952 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 956 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा , 957

		तारीख हुक्म	
	रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि उपखण्ड अधिकारी टोंक के आदेश दिनांक 28—8—75 द्वारा श्री रावराजा सरदारसिंह पुत्र श्री रावराजा गुमानसिंह राजपूत निवासी उनियारा की खातेदारी की भूमि में से सीलिंग में अवाप्त की गयी थी जिसकी पालना में नामा0 संख्या 652 दिनांक 11—6—76 से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करदी गयी। अप्रार्थी शान्तिलाल ने सहायक कलक्टर उनियारा के समक्ष दावा इश्तकरारहक व इन्द्राज दुरस्ती का पेश किया जिस पर सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7—1—88 द्वारा विवादित भूमि पर अप्रार्थी शान्तिलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जो नियमों के प्रतिकूल होने एवं अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर विवादित नामान्तरकरणों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। 7. इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के दौराने एक लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गयी। उन्होने लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि राव राजा श्री सरदार सिंह द्वारा विवादित आराजी जरियेक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6—12—63 को अप्रार्थी श्री शांतिलाल को विक्रय कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया गया जिसके आधार पर नामा0 संख्या 404 दिनांक 20—5—71 को क्रेता के नाम तस्दीक किया जाकर अमल दरामद कर दिया गया तब से श्री शान्तिलाल काबिज काश्त चला आ रहा है इसके बाद उनके वारिसान काबिज काश्त है। उनका तर्क है कि राव राजा श्री सरदार सिंह के विरुद्ध सीलिंग एक्ट प्रकरण में शातिलाल को पक्षकार नही बनाया गया व उक्त निर्णय के आधार पर जरिये नामा0 संख्या 987 दिनांक 17—12—88 को तस्दीक किया जाकर विवादित आराजी शांतिलाल से गैर कानूनी रुप से सिवायचक दर्ज करदी गयी जिसके विरुद्ध सहायक कलक्टर के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा दिनांक 7—1—1988 को अप्रार्थी शांतिलाल के नाम नामा0 तस्दीक किया जाकर पुनः खातेदार घोषित किया गया है। तहसीलदार द्वारा श्री शांतिलाल के नाम तस्दीक नामा0 के विरुद्ध यह रेफरेंस पेश किया गया है लेकिन सहायक कलक्टर उनियारा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7—1—88 के विरुद्ध चुनौति नही की गयी है जो आज भी बहाल है। उनका यह भी तर्क है कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व (ग्रुप—3) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1 (246) राज/3/76/ दिनांक 22—8—81 को जारी की गयी जिसके अनुसार यदि कोई पंजीकृत दस्तावेज हो जो 1962, 1963, 1964 व 1965 यानि 1—4—66 के पूर्व को जो राजस्थान सरकार द्वारा घोषित सीलिंग जोत की सीमा की तिथि से पूर्व के हो जिसमें कब्जा दे दिया गया है ऐसे समस्त मामलों का नामा0 नियमानुसार किया जाना चाहिए जिससे उन किसानों को अनावश्यक रुप से परेशान नही होनो पडे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी बावत रेफरेंस मण्डल को प्रस्तुत किया गया जो खारिज योग्य है। मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3—8—09 जोकि रेफरेंस एलआरएक्ट संख्या 10131/03 में पारित किया है की फोटो प्रति पेश की गयी है। अन्त में हस्तगत रेफरेंस को खारिज करने का निवेदन किया गया।		

		तारीख हुक्म	
	8. मैने योग्य अधिवक्तागण की बहस एवं तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि उपखण्ड अधिकारी टोंक के आदेश दिनांक 28–8–75 के द्वारा राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत अधिग्रहित करने के उपरांत नामा0 संख्या 652 दिनांक 11–6–76 के द्वारा सिवाय चक दर्ज की गई थी। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि राव राजा गुमानसिंह द्वारा अप्रार्थी शान्तीलाल के पक्ष में विवादित आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6–12–63 के द्वारा कब्जा व दखल प्रदान कर दिया गया जिसके आधार पर नामा0 संख्या 404 दिनांक 20–5–71 को श्री शान्तिलाल के नाम तस्दीक किया जाकर अमल दरामद कर दिया गया । विद्वान उपखण्ड अधिकारी टोक द्वारा राव राजा श्री सरदार सिंह के विरुद्ध सीलिंग एक्ट संख्या 1676 में दिनांक 28–8–75 को निर्णय पारित किया गया जिसमें शान्तिलाल को पक्षकार नही बनाते हुए एवं उक्त निर्णय के आधार पर जरिये नामा0 संख्या 987 दिनांक 17–2–88 को तस्दीक किया जाकर विवादित आराजी शान्तिलाल की खातेदारी से गैरकानूनी रुप से सिवायचक दर्ज करदी गयी। चूँकि विवातिदत आराजी के खातेदार राव राजा सरदार सिंुह का देहान्त वर्ष 1969 में हो चुका था और उनके फौत होने केबाद 1975 में उनक`विरुद्ध सीलिंग प्रकरणमें निर्णयय पारित किया गया है। खातेदार की मृत्यु के बाद उनके वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मृतक व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेश प्रभाव शून्यहै। विधि अनुसार रावराजा सरदार सिंह के विरुद्ध चल रहे सीलिंग प्रकरण में पारित निर्णय अप्रार्थी पर लागू नही किया जा सकता क्योकि अप्रार्थी उस प्रकरण में पक्षकार नही था।खातेदार द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र जब तक किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता तब तक उक्त विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामा0 को निरस्त नही किया जा सकता है और न ही उक्त विक्रय पत्र को सीलिंग कानून के तहत अमान्य करार दिया जा सकता है। उक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है। 9. उक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुनील कुमार शर्मा) सदस्य		